48 ग्रा/निग0/रीवा/2017/6110

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

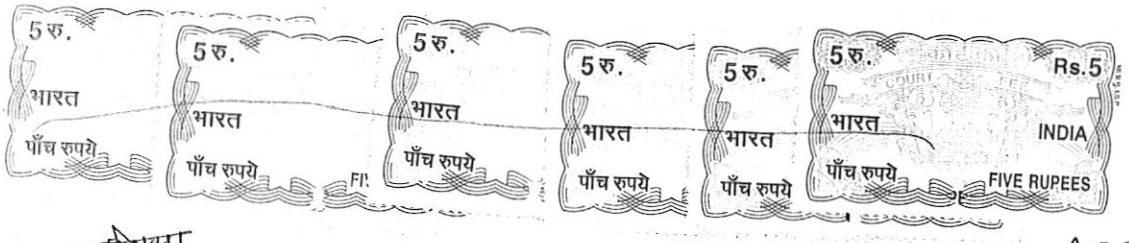

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

अधि0 श्री राजकुमार मिश्रा द्वारा पेश 14-12-17

बाबू आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

R.E.O. 30/-

1. राजेश तिवारी तनय स्व0 छोटेलाल तिवारी, पेशा–कृषिकार्य, उम्र 40 वर्ष, सा0 ग्राम कोलौरा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)
2. प्रदीप कुमार द्विवेदी तनय श्री गिरजा प्रसाद द्विवेदी, उम्र 35 वर्ष, पेशा–कृषि, सा0 ग्राम कोलौरा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)
3. गोपिका प्रसाद मिश्रा तनय स्व0 मंगलदीन मिश्रा, उम्र 68 वर्ष, पेशा–कृषि, सा0 ग्राम भमरा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)
4. प्रिन्स तिवारी तनय रामलखन तिवारी, उम्र 32 वर्ष, पेशा–कृषि कार्य, सा0 ग्राम कोलौरा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)
5. महेश तिवारी तनय स्व0 सूर्यबली तिवारी, उम्र 25 वर्ष, पेशा–कृषि कार्य, सा0 ग्राम भमरा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)
6. हेमराज साकेत तनय शिवबकस साकेत, उम्र 42 वर्ष, पेशा–कृषिकार्य, मजदूरी, सा0 ग्राम भमरा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)
7. रामावतार साकेत तनय स्व0 कन्हई साकेत, उम्र 52 वर्ष, पेशा–कृषि, मजदूरी, सा0 ग्राम भमरा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)
8. श्रीराम तिवारी तनय स्व0 राममूरत तिवारी, उम्र 46 वर्ष, पेशा–कृषि, मजदूरी, सा0 ग्राम भमरा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)
9. श्रीकान्त द्विवेदी तनय स्व0 लवकुश प्रसाद द्विवेदी, उम्र 40 वर्ष, पेशा–कृषि, सा0 ग्राम भमरा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)
10. सुनील मिश्रा तनय रामसुआ मिश्रा, उम्र 40 वर्ष, पेशा–कृषि, सा0 सेमरिया, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)
11. श्री हरिमन तिवारी तनय स्व0 रामभजन तिवारी, उम्र 52 वर्ष, पेशा–कृषि, सा0 ग्राम भमरा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

——————**निगरानीकर्तागण**

बनाम

1. अशोक अग्रवाल तनय स्व0 बिहारीलाल अग्रवाल, उम्र 55 वर्ष, पेशा–निजी व्यापार, निवासी–नगर पंचायत सेमरिया, तह0 सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

------गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी– विरुद्ध अतिरिक्त तहसीलदार तहसील सेमरिया के रा0प्र0क्र0 53ए–19/89–90 निर्णय दिनांक 21.06.90 व अतिरिक्त तहसीलदार तह0 सेमरिया के रा0प्र0क्र0 1ए12/10–11 निर्णय दिनांक 05.10.15 निरस्त किये जाने बावत्।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50,32,52 म0प्र0 भू0 रा0 सं01959ई.

मान्यवर,

निगरानी निम्न आधार बिन्दु अन्तर्गत प्रस्तुत हैः–

1. यह कि वर्तमान मौजा कोलौरा, प0ह0 सेमरिया का पूर्व मौजा कोलौरा,प0ह0 भमरा स्थित आ0नं0 6/1 मूल रकवा 26.78 ए0 में से जुज रकवा 1.25 ए0/0.506 हे0 शासन म0प्र0 के हक व स्वामित्व की भूमि थी जो वर्ष 89–90 के पूर्व आम निस्तार प्रयोजन चरनोई के रूप में की जाती थी, जिसकी इत्तला पूर्व खसरा के कैफियत कालम में चरनाई भूमि इन्द्राज थी, जिसका उपयोग ग्राम कोलौरा के ग्रामीणजन व सरहद्दी ग्राम भमरा के कृषक/मजदूर जानवरों के चरने एवं आम निस्तार मिट्टी निकालने, मुरम निकालने एवं आवाद होने जैसा कार्य स्वतन्त्र रूप से दिनांक 12.09.2016 तक किया जाता रहा है।

2. यह कि निगरानीग्रस्त भूमि का व्यस्थापन चोरी छिपे तौर पर काशी प्रसाद कोरी तनय स्व0 बजरंगी कोरी सा0 दलदल जिला सतना द्वारा आ0नं0 6/1 रकवा 26.78 ए0 में से 1.25/0.506 हे0 का व्यवस्थापन अपने नाम करा लिया, जबकि काशी प्रसाद का कब्जा वर्ष 1989–90 के पूर्व निगरानीग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार से नहीं था अर्थात् काशी प्रसाद निगरानीग्रस्त भूमि पर काबिज कास्त नहीं थे तथा भूमिहीन की श्रेणी में नहीं थे क्योंकि काशी प्रसाद के नाम पूर्व से ग्राम कोलौरा में आ0नं0 7/1 रकवा 2.35 ए0 थी। काशी प्रसाद ग्राम कोलौरा में कभी किसी प्रकार से घर बनाकर आवाद नहीं रहे बल्कि अपनी पुत्री का विवाह ग्राम कलौरा के वंशरूप कोरी के साथ करके आते जाते थे। काशी प्रसाद का बड़ा पुत्र जंगल विभाग में डिप्टी रेंजर था, जो अधीनस्थ न्यायालय से साठगांठ कर अपने पिता के नाम आधारहीन तथ्यों को अवलम्ब में लेकर बिना विहित प्रारूप के आवेदन पत्र के साथ बिना ग्राम पंचायत भमरा के प्रस्ताव के व्यवस्थापन की कार्यवाही करा लिया था, जो कानून की मंशा व विधि के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 6110

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकें आदि के हस्ताक्षर
07-03-2018	पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 53 अ–19 / 1989–90 में पारित आदेश दिनांक 21–6–1990 तथा प्रकरण कमांक 1 अ 12 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 5–10–15 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2 / आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 53 अ–19 / 1989–90 में पारित आदेश दिनांक 21–6–1990 तथा प्रकरण कमांक 1 अ 12 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 5–10–15 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। दोनों ही प्रकरण के विषय वस्तु :– 1. प्रकरण कमांक 53 अ–19 / 1989–90 – भूमि बन्टन प्रकरण है जो राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 के अंतर्गत है। 2. प्रकरण कमांक 1 अ 12 / 2010–11 – नक्शा तरमीम का प्रकरण है जो म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 के अंतर्गत है। दो अलग अलग मदों के प्रकरण एंव अलग अलग नियम / अधिनियम के प्रकरण हैं जिनके विरूद्व एक निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई योग्य नहीं है।	

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 53 अ–19/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 21–6–1990 के विरूद्व प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 30 के अंतर्गत प्रस्तुत होगी। इसी प्रकार प्रकरण कमांक 1 अ 12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 5–10–15 जो म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 के अंतर्गत है , जो अपील योग्य आदेश है जिसकी प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर अलग अलग विषयों के दो आदेशों के विरूद्व एक निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। फलस्वरूप तहसीलदार के अंतिम आदेशों के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में विलम्ब की क्षमा के आधार दर्शाते हुये अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कारणों से निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य न होने से अमान्य की जाती है।

सदस्य